- **Name of Teacher:** Dr. Ravi Agarwal
- **Mob. No.:** 9451176185
- **Email Id:** draviecontent@gmail.com
- **Designation:** Assistant Professor
- **University:** Lucknow University
- **College:** Maharana Prtap Government PG College, Hardoi, U.P.

- **Stream:** Commerce
- **Faculty:** Commerce
- **Department:** Commerce
- **Subject:** Income Tax
- **Course Duration:** 3 Years
- **Sub Topic:** Income from Salaries
- **Type:** PDF
- **Search Keyword:** Salary, Salaries, Income from salaries

Self-Declaration

- The content is exclusively meant for academic purposes and for enhancing teaching and learning. Any other use for economic / commercial purpose is strictly prohibited. The users of the content shall not distribute or disseminate or share it with anyone else and its use is restricted to advancement of individual knowledge. The information provided in this e-content is authentic and best as per my knowledge.

वेतन से आय
(Income from Salaries)
कर निर्धारण वर्ष 202-21

By

Dr. Ravi Agarwal

Assistant Professor

Department of Commerce

Maharana Prtap Government

PG College, Hardoi

वेतन से आशय Meaning of Salary

- 'वेतन' आय का प्रथम एवं महत्वपूर्ण शीर्षक है।
- किसी कर्मचारी को नियोक्ता के प्रति की गई सेवाओं के प्रतिफल में जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है, वेतन कहलाता है।

वेतन से आशय Meaning of Salary

- आयकर अधिनियम के अंतर्गत वेतन शीर्षक में गत वर्ष में प्राप्य वेतन, अग्रिम वेतन, बकाया वेतन की प्राप्ति, महंगाई वेतन, भत्ते, सुविधाओं का मूल्य (अनुलाभ), वेतन के स्थान पर लाभ, बोनस, कमीशन, सेवानिवृत्ति के पश्चात प्राप्त मासिक पेंशन, एकमुश्त पेंशन, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश वेतन, छटनी के कारण क्षतिपूर्ति, स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति, भविष्य निधि से प्राप्त राशि को शामिल किया जाता है।

वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य

- **नियोक्ता एवं कर्मचारी संबंध-**

  वेतन शीर्षक में आय की गणना करने के लिए वेतन भुगतान करने वाले एवं वेतन प्राप्तकर्ता के मध्य नियोक्ता तथा कर्मचारी का संबंध होना आवश्यक है। अर्थात संचालक, अभिकर्ता, साझेदार, संसद एवं विधानसभा सदस्य, को प्राप्त वेतन की गणना किस शीर्षक में नहीं की जाती है।

वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य

- **सेवा के समझौते के अंतर्गत-**

  वेतन शीर्षक में केवल ऐसी प्राप्तियां ही शामिल की जाती है जो कि कर्मचारी सेवा की शर्तों व समझौते के अंतर्गत किए गए कार्य से प्राप्त करता है। यदि कोई कार्य कर्मचारी स्वेच्छा से करता है तो उसके लिए प्राप्त प्रतिफल वेतन शीर्षक में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे शिक्षक द्वारा परीक्षक के रूप में की गई सेवा का पारिश्रमिक वेतन नहीं माना जाता है इसे 'अन्य स्रोतों से आय' में शामिल करते हैं।

वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य

- **वेतन के अतिरिक्त अन्य भुगतान-**

  यदि नियोक्ता कर्मचारी को सेवा की शर्तों के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान करता है तो उसे भी वेतन शीर्षक में कर योग्य किया जाता है। अत: कर्मचारी को नियोक्ता से प्राप्त होने वाले समस्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ या भुगतान वेतन शीर्षक में शामिल किए जाते हैं।

वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य

- **वेतन प्राप्त या प्राप्य आधार पर कर योग्य-**

  गत वर्ष के दौरान कर्मचारी को प्राप्त वेतन या प्राप्य वेतन जो दोनों में पूर्व हो कर योग्य होता है। इसी प्रकार गत वर्ष में अग्रिम प्राप्त वेतन एवं बकाया वेतन की प्राप्ति भी कर योग्य होती है।

वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य

- **वेतन देय होने की तिथि-**

  सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कर्मचारियों की दशा में वेतन अगले माह की प्रथम तिथि को देय माना जाता है।

  बैंक एवं गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में वेतन माह की अंतिम तिथि को देय माना जाता है।

वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य

- **वेतन का समर्पण-**

  यदि कोई कर्मचारी नियोक्ता से किए गए अनुबंध के अंतर्गत संपूर्ण वेतन अथवा वेतन के एक निश्चित भाग केंद्र सरकार को जनहित में त्याग या समर्पण कर देता है तो इसे वेतन का प्रयोग नहीं माना जाता है। ऐसी दशा में समर्पित किए गए वेतन को कर-योग्य नहीं किया जाता है।

वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य

- **वेतन को स्वेच्छा से त्यागना-**

  यदि कर्मचारी अपने वेतन का कुछ भाग स्वेच्छा से त्याग देता है अत: नियोक्ता से प्राप्त नहीं करता है अथवा अपने किसी संबंधी को हस्तांतरित कर देता है तो इसे वेतन का प्रयोग मानते हुए कर योग्य किया जाता है।

वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य

- **वेतन अर्जित करने का स्थान-**

  यदि वेतन भारतीय नियोक्ता से अर्जित होता है तो भारत में कर योग्य होता है, भले ही वेतन की प्राप्ति विदेश में हो। भारतीय नियोक्ता के किसी विदेशी कार्यालय में सेवा देने के कारण कर्मचारी को विदेश में प्राप्त वेतन भारत में कर योग्य होता है।

वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य

- **पारिवारिक पेंशन-**

  कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त पारिवारिक पेंशन अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होती है क्योंकि नियोक्ता एवं कर्मचारी के उत्तराधिकारी के मध्य सेवा का समझौता नहीं होता है।

वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य

- **एक से अधिक नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन-**
  यदि कर्मचारी गत वर्ष में एक से अधिक नियोक्ताओं से वेतन प्राप्त करता है तो समस्त वेतन कर योग्य होता है।

वेतन शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना का प्रारूप-

Computation of taxable Income from Salary

(for the Assessment year 2020-21)

- Basic Salary/ Wages ------
- Advance Salary or Arrears of Salary ------
- Dearness Pay -------
- Bonus -------
- Fee/ Commission -------
- Taxable Allowances

  (D.A., Entertainment Allowance, H.R.A. etc.) -------

- Value of taxable perquisites
  (car, rent free house, etc.) -------
- Profits in lieu of Salary -------
- Encashment of earned leave salary
  during service -------
- Employer's contribution into R.P.F.
  excess of 12% of salary -------
- Interest on R.P.F. excess of 9.5% p.a. -------
- Any other amount or benefit
  received from employer -------

- **On retirement of employee-**
- Monthly Pension (due or received) -------
- Taxable part of Gratuity -------
- Taxable part of encashment of earned leave -------
- Taxable part of voluntary retirement scheme (if any) -------
- Taxable part of commuted pension (if any) -------
- Share of employer from Unrecognised Provident Fund -------

- Interest on share of employer from Unrecognised Provident Fund ---------

Gross Salary ---------

- **Less- Deductions u/s-16**

(i) Standard Deduction upto Rs.50,000 or Gross Salary ------

(ii) Entertainment Allowance (for Govt. employee) -------

(iii) Professional or Employment Tax (if any) -------

(-------)

Net Taxable Salary -------

वेतन से आय-भत्ते
(Income from Salaries-Allowances)
कर निर्धारण वर्ष 2020-21

भत्ते का अर्थ
(Meaning of Allowances)

- नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को विशेष कारण तथा विशेष व्ययों की पूर्ति हेतु वेतन के अतिरिक्त जो मौद्रिक भुगतान किए जाते हैं उन्हें भत्ते कहते हैं।

भत्तों का वर्गीकरण
Classification of Allowances

- आयकर की दृष्टि से भत्ते तीन वर्गों में बांटे जा सकते हैं-

  पूर्णत: कर योग्य भत्ते

  अंशत: कर योग्य भत्ते

  पूर्णत: कर मुक्त भत्ते

पूर्णतः कर योग्य भत्ते

- निम्नलिखित भत्तों की प्राप्त होने वाली समस्त राशि वेतन शीर्षक में पूर्ण रूप से शामिल की जाती है।
- महंगाई भत्ता
- मनोरंजन भत्ता
- नगर क्षतिपूरक भत्ता
- अधिसमय भत्ता
- चिकित्सा भत्ता
- टिफिन भत्ता

पूर्णतः कर योग्य भत्ते

- नौकर भत्ता
- वार्डन या प्रॉक्टर भत्ता
- प्रैक्टिस न करने का भत्ता
- पर्वतीय भत्ता
- परियोजना भत्ता
- प्रतिनियुक्ति भत्ता

पूर्णतः कर योग्य भत्ते

- दिव्यांग कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को परिवहन भत्ता
- टेलीफोन भत्ता
- विशेष योग्यता भत्ता
- अन्य भत्ते जिन्हें कर मुक्त नहीं किया जाय।

अंशत: कर योग्य भत्ते-

- अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से अंशत: कर योग्य भत्तों को दो भागों में बांटा जा सकता है-

(a) सेवा से संबन्धित कर्तव्यों की पूर्ति के लिए प्राप्त भत्ते

(b) व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष क्षतिपूरक भत्ते

सेवा से संबन्धित कर्तव्यों की पूर्ति के लिए प्राप्त भत्ते

- केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पूर्णतः सेवा के कर्तव्यों की पूर्ति से संबन्धित भत्ते वास्तविक व्यय की गयी राशि तक कर-मुक्त होते हैं, यदि कर्मचारी द्वारा भत्ते की प्राप्त राशि में से कुछ राशि बचा ली जाती है तो बचायी गयी राशि कर योग्य होती है।

सेवा से संबन्धित कर्तव्यों की पूर्ति के लिए प्राप्त भत्ते

- सेवा से संबन्धित कर्तव्यों की पूर्ति के लिए प्राप्त भत्ते निम्नलिखित हैं-
- यात्रा भत्ता
- दैनिक भत्ता
- सवारी भत्ता
- सहायक भत्ता
- विद्योपार्जन भत्ता
- वर्दी भत्ता

व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष क्षतिपूरक भत्ते

- ऐसे भत्ते कर्मचारी के व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति तथा विशेष सेवा क्षेत्रों में विशेष क्षतिपूरक भत्ते के रूप में प्राप्त होते हैं।
- ऐसे भत्ते, आंशिक रूप से कर मुक्त होते हैं अर्थात भत्ते के रूप में प्राप्त कुल राशि निर्धारित नियमानुसार एक निश्चित सीमा तक कर मुक्त होती है शेष राशि कर योग्य होती है।

व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष क्षतिपूरक भत्ते

- मकान किराया भत्ता
- बच्चों की शिक्षा भत्ता
- छात्रावास भत्ता
- जनजाति क्षेत्र भत्ता
- भूमिगत भत्ता
- परिवहन कर्मचारियों को विशेष भत्ता
- विशेष क्षतिपूरक भत्ता
- दिव्यांग कर्मचारियों को यातायात/परिवहन भत्ता
- सशस्त्र सैनिकों के लिए विशेष भत्ते

पूर्णतः कर मुक्त भत्ते

- निम्नलिखित भत्तों की प्राप्त होने वाली समस्त राशि वेतन शीर्षक में पूर्णत: कर मुक्त होती है-
- विदेश में सरकारी कर्मचारी को प्राप्त भत्ते
- उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सत्कार भत्ता
- संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्राप्त भत्ते
- होटल एवं आवास के लिए प्राप्त प्रतिदिन भत्ता।

अंशतः कर योग्य भत्ते

(Partly Taxable Allowances)

कर निर्धारण वर्ष 2020-21

बच्चों की शिक्षा भत्ता
Education Allowance for Childrens

- कर्मचारी के अधिकतम दो बच्चों की शिक्षा के लिए गत वर्ष में ₹100 प्रति माह प्रति बच्चा की दर से अधिकतम 2400 रु. तक कर मुक्त है।

छात्रावास भत्ता
Hostel Allowance

- कर्मचारी के अधिकतम दो बच्चों की शिक्षा के लिए गत वर्ष में ₹300 प्रति माह प्रति बच्चा की दर से अधिकतम ₹7200 तक कर मुक्त है।

परिवहन कर्मचारियों को विशेष भत्ता

- परिवहन की प्रणाली में कार्यरत कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन ले जाने के दौरान व्यक्तिगत खर्चों की पूर्ति के लिए दिया गया भत्ता (कर्मचारी दैनिक भत्ता प्राप्त ना कर रहा हो) वास्तविक प्राप्त राशि के 70% अथवा ₹10000 प्रति माह जो दोनों में कम हो की सीमा तक कर मुक्त होता है।

जनजाति क्षेत्र भत्ता-

- मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के कुछ विशेष अनुसूचित अथवा कबायली क्षेत्रों में प्राप्त होने वाला यह विशेष भत्ता ₹200 प्रति माह तक करमुक्त होता है।

भूमिगत भत्ता

- दिव्यांग (अंधे / गूंगे / बहरे या गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त) कर्मचारी को प्राप्त यातायात भत्ता ₹3200 प्रति माह तक कर मुक्त होता है।

मकान किराया भत्ता
House Rent Allowance

- यदि कर्मचारी किराए के मकान में रहता है एवं नियोक्ता द्वारा मकान किराए की पूर्ति हेतु भत्ता प्राप्त करता है तो निम्नलिखित तीन में से न्यूनतम राशि कर मुक्त होगी-

- भत्ते की वास्तविक प्राप्त राशि -----
- भुगतान किए गए किराए की राशि का वेतन के 10% पर आधिक्य -----
- वेतन का 40% अथवा मेट्रो शहर में 50% -----

मकान किराया भत्ता
House Rent Allowance

- **कर योग्य मकान किराया भत्ता = भत्ते की वास्तविक प्राप्त राशि – कर मुक्त मकान किराया भत्ता**
- नोट-1. यदि कर्मचारी स्वयं के मकान में अथवा बिना किराए के मकान में निवास करता है तो मकान किराया भत्ता पूर्णत: कर योग्य होता है।
- 2. **वेतन से आशय**- मूल वेतन + महंगाई वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्त के अनुसार) + बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन।

मकान किराया भत्ता
House Rent Allowance

- 3. कर्मचारी गत वर्ष में जिस अवधि के लिए किराए पर रहता है एवं मकान किराया भत्ता प्राप्त करता है उस अवधि के लिए ही गणना की जाएगी।
- 4. यदि एक लाख रुपए वार्षिक से अधिक किराया भुगतान किया गया हो तो मकान मालिक का PAN नियोक्ता को बताना अनिवार्य है।

अनुलाभ
(Perquisites)
कर निर्धारण वर्ष 2020-21

अनुलाभ
(Perquisites)

- कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त जो सुविधाएं नियोक्ता द्वारा वस्तु या सेवा के रूप में प्राप्त होती हैं, उन्हें अनुलाभ कहा जाता है।
- वेतन शीर्षक में अनुलाभ का मौद्रिक मूल्य शामिल किया जाता है।

कर योग्य अनुलाभ
Taxable Perquisites

- यदि कर्मचारी अनुलाभ के लिए कुछ राशि का भुगतान करता है अथवा कर्मचारी के वेतन से कोई राशि वसूल की जाती है तो इसे घटाकर शेष मौद्रिक मूल्य ही वेतन में शामिल किया जाता है।

कर योग्य अनुलाभ
Taxable Perquisites

- किराया मुक्त आवास
- रियायती किराए पर आवास
- कर्मचारी के किसी व्यक्तिगत दायित्व का नियोक्ता द्वारा भुगतान
- कर्मचारी या उसके परिवार की जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान

कर योग्य अनुलाभ
Taxable Perquisites

- नि:शुल्क या रियायती दर पर आवंटित अंश या प्रतिभूति
- ब्याज मुक्त या रियायती ब्याज की दर पर ऋण (₹20000 से अधिक)
- अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष में ₹150000 से अधिक का अंशदान

कर योग्य अनुलाभ
Taxable Perquisites

- कार्य के समय नि:शुल्क भोजन तथा मादकता रहित पेय पदार्थ (₹50 प्रति भोजन से अधिक)
- उपहार
- कार की सुविधा
- चल संपत्ति का उपयोग

कर योग्य अनुलाभ
Taxable Perquisites

- चल संपत्ति का हस्तांतरण
- क्लब के व्यय
- क्रेडिट कार्ड के व्यय
- छुट्टी मनाने हेतु यात्रा, पर्यटन व निवास की सुविधा

कर योग्य अनुलाभ
Taxable Perquisites

- निजी चिकित्सालय में कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों के चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति
- कर्मचारी के बच्चों को शिक्षा सुविधा (शिक्षा का मूल्य ₹1000 प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक)

कर-मुक्त अनुलाभ
Tax-Free Perquisites

- कार्य स्थल पर नि:शुल्क चाय, नाश्ते तथा मादकता रहित पेय पदार्थ
- टेलीफ़ोन एवं मोबाईल की सुविधा,
- कम्प्यूटर एवं लैपटाप के उपयोग की सुविधा
- कार्य स्थल तक आने-जाने के लिए यातायात सुविधा

कर-मुक्त अनुलाभ
Tax-Free Perquisites

- सामूहिक बीमा पॉलिसी में नियोक्ता का अंशदान
- दुर्घटना बीमा पॉलिसी में नियोक्ता का अंशदान
- पेंशन कोष में नियोक्ता का अंशदान
- कर्मचारी के प्रशिक्षण (रिफ्रेशर कोर्स) पर व्यय

कर-मुक्त अनुलाभ
Tax-Free Perquisites

- कर्मचारी के बच्चों को नियोक्ता की शैक्षिक संस्था में शिक्षण सुविधा (₹1000 प्रति माह प्रति बच्चे तक)
- कर्मचारी या उसके बच्चों को छात्रवृत्ति
- कार्य स्थल पर निवास की सुविधा
- कार्य स्थल पर भोजन की सुविधा (₹50 प्रति भोजन तक)

कर-मुक्त अनुलाभ
Tax-Free Perquisites

- अवकाश यात्रा रियायत (LTC)
- कार्य स्थल पर मनोरंजन सुविधा
- सेवा कार्य से संबन्धित पत्रिकाएँ या जर्नल
- ब्याज मुक्त या रियायती ब्याज की दर पर ऋण (₹20000तक)

कर-मुक्त अनुलाभ
Tax-Free Perquisites

- विदेश मे सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी को प्राप्त समस्त अनुलाभ
- नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के अनुलभों पर चुकाया गया आयकर
- कार, कम्प्यूटर, लैपटाप व ईलेक्ट्रानिक वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य चल संपत्ति का दस वर्ष प्रयोग के पश्चात नि:शुल्क हस्तांतरण

कर-मुक्त अनुलाभ
Tax-Free Perquisites

- सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मुफ्त मकान एवं सवारी की सुविधा
- नियोक्ता के चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधा
- सरकारी चिकित्सालय या सरकार द्वारा अनुमोदित चिकित्सालय में चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति

कर-मुक्त अनुलाभ
Tax-Free Perquisites

- नियोक्ता द्वारा कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान अथवा प्रतिपूर्ति

अनुलाभों का मूल्यांकन
(Valuation of Perquisites)
कर निर्धारण वर्ष 2020-21

अनुलाभों का मूल्यांकन
(Valuation of Perquisites)

- पूर्णत: कर योग्य अनुलाभ एवं निर्धारित मौद्रिक सीमा तक कर मुक्त अनुलाभों पर कर दायित्व निर्धारित करने के लिए इनका मूल्यांकन अर्थात मौद्रिक मूल्य की गणना की जाती है।
- अनुलाभ के मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त शुद्ध मौद्रिक मूल्य वेतन शीर्षक में कर-योग्य होता है।

किराए से मुक्त या रियायती किराए पर आवास की सुविधा का मूल्यांकन

Valuation of Rent free or Concessional Rent House

- मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए सर्वप्रथम किराए से मुक्त असुसज्जित मकान (Unfurnished house) का मूल्यांकन किया जाता है।

किराए से मुक्त आवास का मूल्यांकन
Valuation of Rent free House

- मकान की सुविधा के मूल्यांकन हेतु कर्मचारियों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है-
- सरकारी कर्मचारी
- गैर सरकारी कर्मचारी

सरकारी कर्मचारी की दशा में

- केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी को प्राप्त किराए से मुक्त मकान (असुसज्जित) का मूल्य सरकारी नियमानुसार निर्धारित राशि (लाइसेंस फीस) के बराबर माना जाता है।

सरकारी कर्मचारी की दशा में...

- स्थानीय सत्ता, वैधानिक निगम, सरकारी निकाय या उपक्रम में कार्यरत कर्मचारी मकान की सुविधा के मूल्यांकन हेतु सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते हैं।

गैर-सरकारी कर्मचारी की दशा में

- गैर-सरकारी कर्मचारी अथवा अन्य कर्मचारी की दशा में मकान की सुविधा के मूल्यांकन हेतु सर्वप्रथम यह निश्चित किया जाता है कि मकान नियोक्ता का है अथवा नियोक्ता ने मकान किराए पर लेकर कर्मचारी को दिया है।

गैर-सरकारी कर्मचारी की दशा में...

- यदि मकान नियोक्ता का है, तो मकान का मूल्यांकन शहर की वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाता है।

गैर-सरकारी कर्मचारी की दशा में...

- **यदि जनसंख्या 25 लाख से अधिक है-** आवास की सुविधा प्राप्त करने की अवधि के वेतन का 15%
- **यदि जनसंख्या 10 लाख से अधिक है परंतु 25 लाख तक है-** आवास की सुविधा प्राप्त करने की अवधि के वेतन का 10%
- **यदि जनसंख्या 10 लाख तक है-** आवास की सुविधा प्राप्त करने की अवधि के वेतन का 7.5%

सुसज्जित मकान का मूल्यांकन
Valuation of Furnished House

यदि मकान सुसज्जित (furnished) है तो पूर्व में गणना किए गए असुसज्जित मकान के मूल्य में फर्नीचर की लागत का 10% या फर्नीचर का किराया जोड़कर सुसज्जित किराए से मुक्त मकान का मूल्य ज्ञात किया जाता है।

By- Dr. Ravi Agarwal

रियायती किराए पर मकान का मूल्यांकन
Valuation of Concessional Rent House

- यदि कर्मचारी द्वारा मकान की सुविधा के लिए कोई राशि भुगतान की गई हो या देय हो तो इस राशि को किराए से मुक्त मकान के मूल्य में से घटा लिया जाता है।
- इस प्रकार प्राप्त शुद्ध राशि रियायती किराए पर मकान की सुविधा का मूल्य मानी जाती है।

By- Dr. Ravi Agarwal

वेतन से आशय
Meaning of Salary

- मूल वेतन + महंगाई भत्ता (सेवा शर्तों में) + सभी कर योग्य भत्ते + बोनस + कमीशन + अन्य कोई रोकड़ में भुगतान
- इस संबंध में वेतन की गणना में अनुलभों का मूल्य, अग्रिम एवं बकाया वेतन, चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति को शामिल नहीं करते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु...

- यदि कर्मचारी एक ही अवधि में एक से अधिक नियोक्ताओं से वेतन प्राप्त करता है, किंतु मकान की सुविधा किसी एक नियोक्ता से ही प्राप्त करता है तो मकान की सुविधा के मूल्यांकन हेतु सुविधा प्राप्त करने की अवधि में सभी नियोक्ताओं द्वारा प्राप्त वेतन ध्यान में रखा जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु...

- किसी कर्मचारी के स्थानांतरण की दशा में यदि कर्मचारी को नए स्थान पर भी मकान की सुविधा दी जाती है और वह कर्मचारी पुराने स्थान के मकान पर अधिकार बनाए रखता है तो अधिकतम 90 दिन तक दोनों मकान में से एक मकान जिसका मूल्य कम हो अनुलाभ के रूप में कर योग्य होगा ।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु...

- 90 दिन की अवधि के बाद भी यदि कर्मचारी दोनों मकान अपने अधिकार में रखता है तो दोनों मकानों के अनुलाभ का कर योग्य मूल्य वेतन शीर्षक में कर योग्य होता है।

होटल में रहने की सुविधा

- कर्मचारी के स्थानांतरण की दशा में यदि होटल में रहने की अवधि 15 दिन तक है तो इस सुविधा का मूल्य शून्य होता है।

होटल में रहने की सुविधा...

- अन्य दशा में होटल का किराया या होटल में रहने की अवधि के वेतन का 24% जो दोनों में कम हो अनुलाभ का मूल्य होता है।
- यदि इस संबंध में कर्मचारी द्वारा कोई राशि भुगतान की गई है या वसूल की गई है तो उसे घटाकर अनुलाभ का कर योग्य मूल्य ज्ञात किया जाता है।

कार की सुविधा का मूल्यांकन
(Valuation of Car)
कर निर्धारण वर्ष 2020-21

कार की सुविधा का मूल्यांकन
(Valuation of Car)

- कार की सुविधा का मूल्यांकन कार के स्वामित्व, कार के प्रयोग एवं कार के आकार के आधार पर निर्धारित नियमानुसार किया जाता है।

यदि कार नियोक्ता की है या नियोक्ता द्वारा किराए अथवा पट्टे पर ली गई है-

- **कार पूर्णतः व्यापार व पेशे के प्रयोग में आती है-**
- इस दशा में कार की सुविधा का मूल्य शून्य होगा। वास्तव में यह सुविधा ही नहीं है।

यदि कार नियोक्ता की है या नियोक्ता द्वारा किराए पर ली गई है एवं कार पूर्णतः कर्मचारी के प्रयोग में आती है-

कार चलाने व रखरखाव के व्यय		✓
चालक का वेतन (यदि दिया गया हो)	✓	
कार लागत पर 10% प्रतिवर्ष ह्रास या वास्तविक किराया	✓	
कार की सुविधा का कुल मूल्य		✓
कर्मचारी द्वारा कार हेतु भुगतान की गई या देय राशि	-----	
कार की सुविधा का कर-योग्य मूल्य		✓

By- Dr. Ravi Agarwal

यदि कार नियोक्ता की है एवं कार अंशतः कार्यालय तथा अंशतः कर्मचारी के व्यक्तिगत प्रयोग में आती है-

a. यदि कार के रख-रखाव एवं परिचालन के समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है-

(i) छोटी कार की दशा में- कार का मूल्य ₹1800 प्रति माह

(ii) बड़ी कार की दशा में- कार का मूल्य ₹2400 प्रति माह

यदि चालक भी प्रदान किया गया है तो चालक का वेतन ₹900 प्रति माह अतिरिक्त शामिल करते हैं।

यदि कार नियोक्ता की है एवं कार अंशतः कार्यालय तथा अंशतः कर्मचारी के व्यक्तिगत प्रयोग में आती है-

b. यदि कार के व्यक्तिगत प्रयोग से संबन्धित रख-रखाव एवं परिचालन के व्यय कर्मचारी स्वयं वहन करता है-

(i) छोटी कार की दशा में- कार का मूल्य ₹600 प्रति माह

(ii) बड़ी कार की दशा में- कार का मूल्य ₹900 प्रति माह

यदि चालक नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया है तो चालक का वेतन ₹900 प्रति माह अतिरिक्त शामिल करते हैं।

यदि कार कर्मचारी की है एवं कार पूर्णतः व्यापार व पेशे के प्रयोग में आती है-

- यदि कार के रख-रखाव एवं परिचालन के समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है तो कार का मूल्य शून्य होगा। वास्तव में यह सुविधा ही नहीं है।

यदि कार कर्मचारी की है एवं कार पूर्णतः कर्मचारी या उसके परिवार के प्रयोग में आती है-

- नियोक्ता द्वारा कार के सम्बंध में व्यय की गयी समस्त राशि कार की सुविधा का कर योग्य मूल्य मानी जाती है।

यदि कार कर्मचारी की है कार अंशत: कार्यालय तथा अंशत: कर्मचारी के व्यक्तिगत प्रयोग में आती है-

यदि कार के रख-रखाव एवं परिचालन के समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है-

(i) **छोटी कार की दशा में-** नियोक्ता द्वारा वहन की गयी राशि में से ₹1800 प्रति माह एवं चालक का वेतन ₹900 प्रति माह (यदि हो) घटा कर शेष राशि कर योग्य होती है।

(ii) **बड़ी कार की दशा में-** नियोक्ता द्वारा वहन की गयी राशि में से ₹2400 प्रति माह एवं चालक का वेतन ₹900 प्रति माह (यदि हो) घटा कर शेष राशि कर योग्य होती है।

यदि कर्मचारी के प्रयोग में एक से अधिक मोटर कार हैं-

- यदि कर्मचारी या उसका परिवार एक से अधिक कारों को (पूर्णतः सेवा/कार्यालय कार्य के अतिरिक्त) प्रयोग करता है तो अनुलाभ के मूल्य की गणना करने के लिए एक कार (सामान्यत:बड़ी कार) को अंशत: व्यापार या पेशे तथा अंशत: निजी प्रयोग के लिए मानते हुए मूल्यांकन किया जाता है।
- शेष अन्य कारों को पूर्णतः निजी प्रयोग के लिए मानते हुए कार की सुविधा का मूल्यांकन किया जाता है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

- छोटी कार से आशय 1.6 ली. (1600 CC या 16 HP) या इससे कम इंजन क्षमता वाली कार से है।
- बड़ी कार से आशय 1.6 ली. (1600 CC या 16 HP) से अधिक इंजन क्षमता वाली कार से है।
- कार की सुविधा के मूल्यांकन हेतु समय की गणना में दिनों को छोड़ दिया जाएगा। पूर्ण माह के आधार पर ही कार का मूल्यांकन किया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

- यदि कार की सुविधा के संबंध में कर्मचारी के वेतन से कोई राशि काटी जाती है या कर्मचारी द्वारा भुगतान की जाती है तो उसे सुविधा के मूल्य में से घटा लिया जाएगा।
- कर्मचारी को घर से कार्यालय आने-जाने हेतु दी गई परिवहन सुविधा (यातायात सुविधा) तथा सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त यातायात सुविधा पूर्णतः कर मुक्त होती है।

अन्य अनुलाभों का मूल्यांकन

(Valuation of other Perquisites)

कर निर्धारण वर्ष 2020-21

चिकित्सा सुविधा धारा-17(2)
भारत में चिकित्सा सुविधा

- नियोक्ता के चिकित्सालय में कर्मचारी तथा उसके पारिवारिक सदस्यों को चिकित्सा का मूल्य- **पूर्णतः कर मुक्त (शून्य)**
- सरकारी चिकित्सालय या स्थानीय सत्ता द्वारा संचालित चिकित्सालय अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित चिकित्सालय की दशा में नियोक्ता द्वारा चिकित्सा बिलों का भुगतान या प्रतिपूर्ति- **पूर्णतः कर मुक्त।**

By- Dr. Ravi Agarwal

भारत में चिकित्सा सुविधा-...

- निर्धारित बीमारियों के लिए मुख्य कमिश्नर (आयकर) द्वारा अनुमोदित किसी चिकित्सालय में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा कर्मचारी से संबंधित चिकित्सा बिलों का भुगतान या प्रतिपूर्ति-**पूर्णतः कर मुक्त।**

भारत में चिकित्सा सुविधा-...

- नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के सामूहिक स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम भुगतान अथवा कर्मचारी द्वारा स्वयं व पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान की नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति-**पूर्णतः कर मुक्त**

विदेश में चिकित्सा सुविधा

- विदेश में कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्यों के क चिकित्सा पर नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय RBI द्वारा निश्चित की गई सीमा तक कर मुक्त हैं।
- 2. विदेश में मरीज व मरीज की देखभाल के लिए एक सदस्य के ठहरने के व्यय भी RBI द्वारा निर्धारित सीमा तक कर मुक्त है।

विदेश में चिकित्सा सुविधा-...

- विदेशी यात्रा (मरीज+एक सदस्य) पर नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय कर्मचारी की सकल कुल आय ₹2,00,000 तक होने की दशा में ही कर मुक्त होंगे।

उपहार

- यदि नियोक्ता द्वारा किसी समारोह के उपलक्ष्य में कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को कोई उपहार या उपहार प्राप्त करने के लिए वाउचर या टोकन दिया जाता है तो अनुलाभ का मूल्य उपहार के मूल्य के बराबर कर योग्य होगा।
- यदि उपहार का मूल्य ₹5000 तक है तो यह कर मुक्त हो जाएगा।

उपहार

- यदि मूल्य ₹5000 से अधिक है तो ₹5000 के अतिरिक्त शेष राशि कर योग्य होगी।
- यदि टोकन या वाउचर नगद में परिवर्तित हो सकते हैं तो यह पूर्णत: कर योग्य होंगे।
- यदि गत वर्ष में एक से अधिक बार उपहार मिलता है तो उपहार के मूल्य का कुल योग देखा जाएगा।

शिक्षा सुविधा-नियम 3(5)

- कर्मचारी को शिक्षा सुविधा-कर मुक्त
- नियोक्ता की शिक्षा संस्था या नियोक्ता के यहां सेवा के कारण किसी अन्य शिक्षा संस्था द्वारा कर्मचारी के बच्चों को शिक्षा सुविधा-

(a) शिक्षा की लागत ₹1000 प्रति माह प्रति बच्चा तक पूर्णतः कर मुक्त है।

(b) शिक्षा की लागत ₹1000 प्रति माह प्रति बच्चा से अधिक होने पर शिक्षा संस्था की पूरी फीस कर योग्य है।

शिक्षा सुविधा-नियम 3(5)

- परिवार के अन्य सदस्य को शिक्षा सुविधा- **पूर्णतः कर योग्य**
- अन्य शिक्षा संस्था जो कि नियोक्ता से संबंधित नहीं है, में कर्मचारी के बच्चों को शिक्षा सुविधा अथवा शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति - **पूर्णतः कर योग्य**
- शिक्षा सुविधा हेतु बच्चों की संख्या पर प्रतिबंध नहीं है।
- यदि कर्मचारी से इस संबंध कोई राशि वसूल की जाती है तो इसे सुविधा के मूल्य में से घटा दिया जाता है।

नि:शुल्क भोजन तथा मादकता रहित पेय पदार्थ की सुविधा

- कार्य के समय चाय-नाश्ते की सुविधा- **कर मुक्त**
- दूरस्थ क्षेत्र या तटस्थ क्षेत्र में भोजन की सुविधा- **कर मुक्त**
- कार्य के समय में कार्य स्थल पर नि:शुल्क भोजन या भोजन प्राप्त करने के लिए नि:शुल्क अहस्तांतरणीय वाउचर की सुविधा- **₹50 प्रति भोजन तक कर मुक्त**
- यदि कर्मचारी द्वारा इस सुविधा के लिए कोई भुगतान किया जाता है, तो इसे सुविधा के मूल्य में से घटा लिया जायेगा।

बिना ब्याज या रियायती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा-

- यदि ऋण की राशि ₹20000 तक है- **कर मुक्त**
- ऋण गंभीर बीमारी के इलाज के लिए है- **कर मुक्त**
- अन्य दशा में ऋण- एस.बी.आई. की ब्याज दर
- यदि कर्मचारी या परिवार के सदस्य से ब्याज के रूप में कोई राशि वसूल की गई है तो इसे सुविधा के मूल्य में से घटा लेंगे।

चल संपत्ति का उपयोग

- लैपटॉप तथा कंप्यूटर की दशा में- **कर मुक्त**
- अन्य संपत्तियों का स्वामी यदि नियोक्ता है- **संपत्ति की लागत का 10% प्रतिवर्ष**
- यदि संपत्ति किराए पर ली गई है- **नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया या देय किराया।**
- यदि कर्मचारी से कोई राशि वसूल की जाती है तो इसे घटाकर शेष राशि कर योग्य होगी।

चल संपत्ति का हस्तांतरण

- यदि नियोक्ता द्वारा कोई चल संपत्ति कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्यों को अपलिखित मूल्य (W.D.V.) से कम मूल्य पर हस्तांतरित की जाती है, तो अंतर की राशि ही अनुलाभ का कर योग्य मूल्य होती है।
- अपलिखित मूल्य की गणना के लिए अग्रलिखित ह्रास की विधि एवं दर होंगी-

चल संपत्ति का हस्तांतरण

- **कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं-** अपलिखित मूल्य (W.D.V) पर 50% प्रति पूर्ण वर्ष की दर से। **(क्रमागत शेष विधि)**
- **मोटर कार-** अपलिखित मूल्य (W.D.V.) पर 20% प्रति पूर्ण वर्ष की दर से। **(क्रमागत शेष विधि)**
- **अन्य चल संपत्तियां-** लागत पर (Cost) पर 10% प्रति पूर्ण वर्ष की दर से। **(सीधी रेखा विधि)**

By- Dr. Ravi Agarwal

चल संपत्ति का हस्तांतरण

- इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में डाटा संग्रहित एवं संचारित करने वाले यंत्र जैसे-कंप्यूटर्स, लैपटॉप, डिजिटल डायरी व प्रिंटर्स आदि शामिल हैं।
- घरेलू प्रयोग के संयंत्र जैसे फ्रिज, माईक्रोवेव, ओवन, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में शामिल नहीं है।

नि:शुल्क यातायात की सुविधा– नियम 3(6)

- किसी यातायात के व्यापार में नियुक्त कर्मचारी या उसके परिवार को नि:शुल्क या रियायती किराए की दर पर यात्रा करने अथवा माल लाने ले जाने की सुविधा प्राप्त होती है तो इसका मूल्य जनता से वसूल की जाने वाली राशि के बराबर कर योग्य होगा।
- रेलवे व एयरलाइन के कर्मचारियों के लिए यह सुविधा पूर्णत: कर मुक्त है।
- यदि कर्मचारी से कोई राशि वसूल की जाती है तो वह सुविधा के मूल्य में से घटा दी जाएगी।

छुट्टी मनाने के लिए यात्रा पर्यटन तथा आवास की सुविधा

- यदि यह सुविधा अवकाश यात्रा रियायत (L T C) के अतिरिक्त है तो पूर्णत: कर योग्य होगी।
- अर्थात नियोक्ता द्वारा कर्मचारी व उसके परिवार पर व्यय की गई समस्त राशि पूर्णत: कर योग्य होती है।
- यदि कर्मचारी से कोई राशि वसूल की जाती है तो उसे सुविधा के मूल्य में से घटा लिया जाता है।

अन्य अनुलाभ

- **अवकाश यात्रा रियायत (LTC)-** नियोक्ता से अवकाश यात्रा रियायत की निर्धारित सीमा तक प्राप्त राशि **पूर्णतः कर मुक्त** है।
- **फर्राश (सफाई कर्मी), चौकीदार, माली या निजी सहायक की सुविधा-** पूर्णतः कर योग्य
- **गैस, बिजली, पानी की सुविधा-** पूर्णतः कर योग्य
- यदि कर्मचारी से कोई राशि वसूल की जाती है, तो इसे सुविधा के मूल्य में से घटा दिया जाता है।

अन्य अनुलाभ

- **क्रेडिट कार्ड पर व्यय-** निजी प्रयोग हेतु पूर्णत: कर योग्य है। सेवा कार्य के लिए कर मुक्त होगा।
- **क्लब व्यय-** निजी प्रयोग के लिए पूर्णत: कर योग्य है। सेवा कार्य से संबंधित होने या समस्त कर्मचारियों को समान सुविधा प्राप्त होने पर कर मुक्त होता है।
- **Sweat Equity Shares या अन्य प्रतिभूति का बाजार मूल्य से कम पर हस्तांतरण-** कर्मचारी द्वारा प्रतिभूति प्राप्त करने के विकल्प की तिथि का औसत विक्रय मूल्य कर योग्य होगा।

वेतन के स्थान पर लाभ धारा 17(3)

- कर्मचारी को निम्नलिखित प्राप्तियां वेतन के स्थान पर लाभ की मानी जाती हैं-

1. कर्मचारियों को अपने वर्तमान या किसी पूर्व नियोक्ता से सेवा की शर्तो में परिवर्तन करने या सेवा से हटाने के संबंध में प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति की राशि।
2. किसी वर्तमान या भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया गया या देय कोई भुगतान।

वेतन के स्थान पर लाभ धारा 17(3)

3. की-मैन (keyman) बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि (बोनस सहित)।
4. अप्रमाणित प्राविडेंट फंड या ऐसे ही किसी अन्य फंड में नियोक्ता का अंशदान एवं उस पर ब्याज की राशि।
5. यदि करदाता को किसी व्यक्ति से सेवा का आरंभ करने से पूर्व या सेवा समाप्त करने के पश्चात कोई राशि एक मुश्त प्राप्त या प्राप्य हो।

By- Dr. Ravi Agarwal

भविष्य निधियां

(Provident Funds)

कर निर्धारण वर्ष 2020-21

भविष्य निधियां (Provident Funds)

- भविष्य निधि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए दीर्घकालीन बचत करने की एक विधि है।
- इसके अंतर्गत एक कोष स्थापित करके उसमें कर्मचारी के वेतन में से एक निश्चित प्रतिशत की दर से धनराशि काटकर जमा की जाती है।

भविष्य निधियां (Provident Funds)

- नियोक्ता भी सामान्यतः समान अनुपात में कर्मचारी के कोष में अंशदान करता है।
- कर्मचारी व नियोक्ता का कुल अंशदान प्रतिमाह कोष में जमा होता है।

भविष्य निधियां (Provident Funds)

- कोष में इस प्रकार जमा कुल राशि पर निर्धारित दर से ब्याज भी कर्मचारी के नाम से जमा होता रहता है।
- सेवा निवृत्ति या सेवाकाल में मृत्यु होने पर कोष की समस्त राशि कर्मचारी या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है।

भविष्य निधियां (Provident Funds)

- इस प्रकार भविष्य निधि की कुल राशि में चार प्रकार की राशि होती हैं-

(i) कर्मचारी का अंशदान

(ii) नियोक्ता का अंशदान

(iii) कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज

(iv) नियोक्ता के अंशदान पर ब्याज

By- Dr. Ravi Agarwal

भविष्य निधियां (Provident Funds)

- भविष्य निधियां चार प्रकार की होती हैं-

1. वैधानिक भविष्य निधि (SPF)-1925
2. प्रमाणित भविष्य निधि (RPF)-1952
3. अप्रमाणित भविष्य निधि (URPF)
4. सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF)

By- Dr. Ravi Agarwal

वैधानिक भविष्य निधि
(Statutory Provident Fund)

- यह भारतीय भविष्य निधि अधिनियम,1925 द्वारा अनुमोदित होता है।
- सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्यालयो, स्थानीय निकायों, मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान, वैधानिक निगम, राष्ट्रीयकृत बैंको, रेलवे आदि में इसे बनाया जाता है।

प्रमाणित भविष्य निधि
(Recognised Provident Fund)

- यह भविष्य निधि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952 के अंतर्गत आयकर मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा अनुमोदित होती है।
- यह भविष्य निधि अनुसूचित बैंकों कारखानों व निजी क्षेत्र की व्यापारिक संस्थाओं में रखी जाती है।
- सामान्यतः ऐसी निजी संस्थाएं जहां 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत होते हैं, वहाँ यह फण्ड बनाया जाता है।

अप्रमाणित भविष्य निधि
(Unrecognised Provident Fund)

- यदि भविष्य निधि आयकर कमिश्नर द्वारा प्रमाणित न हो एवं न ही वैधानिक भविष्य निधि हो, तो इसे अप्रमाणित भविष्य निधि माना जाता है।
- यह भविष्य निधि भी निजी क्षेत्र की संस्थाओं में होती है।

सार्वजनिक भविष्य निधि
(Public Provident Fund)

- इस भविष्य निधि का नियोक्ता से कोई संबंध नहीं होता है।
- यह किसी भी व्यक्ति द्वारा भारतीय स्टेट बैंक या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत राष्ट्रीयकृत बैंकों या डाकघर(प्रधान) में सार्वजनिक भविष्य निधि खाता खोलकर प्रारंभ की जा सकती है।

सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund)

- इस भविष्य निधि में व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष न्यूनतम ₹500 व अधिकतम ₹150000 जमा किए जा सकते हैं।
- जमा धन पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर से ब्याज कोष में ही जमा कर दिया जाता है।
- इस भविष्य निधि की समय अवधि 15 वर्ष होती है, जिसकी समाप्ति पर समस्त राशि आहरित की जा सकती है।

भविष्य निधि के संबंध में कर- देयता

- वेतन शीर्षक में कर-देयता के दृष्टिकोष से केवल वैधानिक भविष्य निधि, प्रमाणित भविष्य निधि तथा अप्रमाणित भविष्य निधि महत्वपूर्ण हैं।

भविष्य निधि के संबंध में कर- देयता

राशि का प्रकार	SPF	RPF	URPF
नियोक्ता का अंशदान	कर मुक्त	कर्मचारी के वेतन के 12% तक कर-मुक्त	कर मुक्त
कर्मचारी का अंशदान	धारा 80C में कटौती योग्य	धारा 80c में कटौती योग्य	धारा 80c में कटौती योग्य नहीं
कोष पर ब्याज	कर मुक्त	9.5% प्रतिवर्ष तक कर मुक्त अतिरिक्त ब्याज कर योग्य	कर मुक्त

By- Dr. Ravi Agarwal

सेवा-निवृत्त होने या नौकरी छोड़ने पर भविष्य निधि से प्राप्त राशि की कर-देयता

1. **वैधानिक भविष्य निधि-** इससे प्राप्त संपूर्ण राशि पूर्णत: कर मुक्त होती है।
2. **प्रमाणित भविष्य निधि-** कर्मचारी द्वारा 5 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त होने या नौकरी छोड़ने पर प्रमाणित भविष्य निधि (R.P.F.) से प्राप्त समस्त राशि पूर्णत: कर मुक्त होती है।

By- Dr. Ravi Agarwal

सेवा-निवृत्त होने या नौकरी छोड़ने पर भविष्य निधि से प्राप्त राशि की कर-देयता

3. अप्रमाणित भविष्य निधि-

a. नियोक्ता का कुल अंशदान एवं इस पर कुल ब्याज वेतन शीर्षक में शामिल किया जाता है।

b. कर्मचारी के अंशदान की कुल राशि कर मुक्त होती है।

c. कर्मचारी के अंशदान पर संग्रहित ब्याज की राशि ' अन्य साधनों से आय' शीर्षक में शामिल की जाती है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

- वैधानिक एवं प्रमाणित भविष्य निधि में सेवाकाल के दौरान कर्मचारी द्वारा किया गया अंशदान धारा 80(C) में अधिकतम ₹150000 तक कटौती योग्य होता है।
- किसी भी प्राविडेंट फंड में कर्मचारी के वेतन से अंशदान के रूप में जो राशि काटी जाती है उसे वेतन शीर्षक में आय की गणना हेतु मूल वेतन में पुनः जोड़ लिया जाता है।

वेतन से आशय

- प्रमाणित प्राविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान ज्ञात करने के लिए वेतन से आशय-
- **वेतन = मूल वेतन + मंहगाई भत्ता (सेवा शर्त के अंतर्गत) + बिक्री पर निश्चित दर से कमीशन।**

अनुमोदित सुपरऐनुएशन फंड धारा-10(13)

- यह फंड आयकर मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा अनुमोदित होता है।
- इसका उद्देश्य कर्मचारी की सेवानिवृति, सेवाकाल में मृत्यु होने या कार्य करने में असमर्थता की दशा में आश्रितों को वार्षिकी भुगतान करना है।

अनुमोदित सुपरएनुएशन फंड धारा-10(13)

- कर्मचारी की मृत्यु सेवानिवृत्त या असमर्थता की दशा में इस फंड से भुगतान पूर्णत: कर मुक्त होता है।
- सेवा के दौरान कर्मचारी द्वारा इस फंड में किए गए अंशदान की राशि धारा 80(C) के अंतर्गत कटौती योग्य होती है।

हस्तांतरित शेष (Transferred Balance)

- जब कोई अप्रमाणित भविष्य निधि (URPF) सर्वप्रथम प्रमाणित भविष्य निधि (RPF) में पारिवर्तित की जाती है तो कर्मचारी की भविष्य निधि में प्रमाणित होने के समय जो शेष होता है उसे हस्तांतरित शेष (Transferred Balance) कहते हैं।

हस्तांतरित शेष (Transferred Balance)

- जिस गत वर्ष में अप्रमाणित भविष्य निधि (URPF) को प्रमाणित भविष्य निधि (RPF) में परिवर्तित किया जाता है उस गत वर्ष में फंड प्रारंभ होने की तिथि से प्रमाणित करने तक के सभी वर्षों की वार्षिक वृद्धि कर्मचारी के वेतन शीर्षक में कर योग्य आय मानी जाती है।

वेतन शीर्षक में कटौतियाँ

(Deductions from Salary)

धारा-16

कर निर्धारण वर्ष 2020-21

वेतन शीर्षक में कटौतियां-[धारा-16]

Deductions from Salary-[Sec-16]

- वेतन शीर्षक में कर्मचारियों को निम्नलिखित तीन कटौतियाँ प्राप्त हो सकती हैं-
- मानक कटौती
- मनोरंजन भत्ते की कटौती
- नियोजन कर की कटौती

मानक कटौती [धारा-16(ia)]
Satandard Deduction [Sec-16(ia)]

- सभी कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम राशि कटौती योग्य होगी-

(i) सकल वेतन की राशि

(ii) अधिकतम ₹50000

मनोरंजन भत्ता [धारा-16 (ii)]
Entertainment Allowance [Sec-16(ii)]

- मनोरंजन भत्ता सभी कर्मचारियों के सकल वेतन की गणना में शामिल किया जाता है।
- यदि कर्मचारी द्वारा मनोरंजन पर सेवा कार्य के लिए कुछ व्यय किया जाता है, तो उसकी कोई कटौती नहीं मिलती है।
- गैर-सरकारी कर्मचारियों को मनोरंजन भत्ते के संबंध में कटौती नहीं मिलती है।

By- Dr. Ravi Agarwal

मनोरंजन भत्ता [धारा-16 (ii)]
Entertainment Allowance [Sec-16(ii)]

- सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ता निम्नलिखित में से सबसे कम राशि तक कटौती योग्य होगा:-

(i) वास्तविक मनोरंजन भत्ता

(ii) अधिकतम राशि ₹5000

(iii) मूल वेतन का 20%

नियोजन कर [धारा-16(iii)]
Employement or Professional Tax

- किसी कानून के अंतर्गत नियोजन या व्यवसाय/पेशे पर लगाए गए कर का भुगतान यदि कर्मचारी द्वारा या नियोक्ता द्वारा (कर्मचारी की ओर से) किया जाता है तो इस प्रकार चुकाई गई समस्त राशि कटौती योग्य होगी।

नियोजन कर [धारा-16(iii)]
Employement or Professional Tax

- यदि नियोजन कर का भुगतान नियोक्ता ने किया है, तो इसे पहले सकल वेतन की गणना में शामिल किया जाता है।
- नियोजन कर की अधिकतम राशि ₹2500 तक हो सकती है।

References

- Mehrotra, H.C. (2020): *'आयकर विधान एवं लेखे' साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा।*
- *Jain, P.K. & Tyagi, R.K.: आयकर विधान एवं लेखे' एस बी पी डी पब्लिशिंग हाउस, आगरा।*

Please send your suggestions and queries at-

9451176185

or

draviecontent@gmail.com

Thank You !!

Learn & Keep Smiling forever....